

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या: 131/रा0नि0आ0अनु0-2/1126/2010

देहरादून : दिनांक 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की अधिसूचना संख्या-325/xii / 2011/86(30)/2010 दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के क्रम में मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा यह निर्देश देता हूँ कि जनपद हरिद्वार के उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का निर्वाचन निम्नांकित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराया जायेगा और इस निर्वाचन हेतु यह निर्वाचन प्रक्रिया जिला मुख्यालय पर सम्पन्न होगी।

नामांकन का दिनांक व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच का दिनांक व समय	नामांकन पत्रों की वापसी हेतु दिनांक व समय	मतदान का दिनांक व समय	मतगणना का दिनांक व समय
1	2	3	4	5
10.05.2011 (पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक)	10.05.2011 (अपराह्न 4.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	13.05.2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक)	16.05.2011 (पूर्वाह्न 9.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक)	16.05.2011 (अपराह्न 3.00 बजे से मतगणना की समाप्ति तक)

2. जिलामजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी उपरोक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2002, के नियम-5(2) के अन्तर्गत नियमावली में निर्धारित प्रपत्र-1 में नोटिस अपने स्तर से दिनांक 30.04.2011 को जारी करेंगे तथा उसकी प्रति अण्डर पोस्टल सर्टिफिकेट द्वारा सभी जिला पंचायत सदस्यों के अन्तिम ज्ञात पते पर भेजेंगे और निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा। सार्वजनिक जानकारी हेतु क्षेत्र पंचायतों के मुख्यालय, जिला पंचायत, तहसील कार्यालयों और जिलामजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों में भी यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त नियमावली के नियम-3(2) के अनुसार इस निर्वाचन के संचालन के लिए जिलामजिस्ट्रेट निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग ऑफिसर) होंगे निर्वाचन अधिकारी अपने कृत्यों के सम्पादन में अपनी सहायता के लिये उक्त नियमावली के नियम-4 के अनुसार एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं।

3. उक्त निर्वाचन उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली, 1994) अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2002, के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा जिसमें गुप्त मतदान कराया जायेगा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पद में प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपरोक्त नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिये जायेंगे, जिस क्रम में वह नियम-12 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गये हो। मतगणना के बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा आयोग की अनुमति से यथाशीघ्र परिणाम घोषित किया जायेगा।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।




संख्या: 134 (1)/रा0नि0आ0अनु0-2/1126/2010 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
9. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रमुख सचिव, नगर विकास, उत्तराखण्ड शासन।
11. सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, पंचायती राज, उत्तराखण्ड।
14. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।
15. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
16. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
17. प्रभारी अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
18. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हरिद्वार।
19. जिला पंचायत राज अधिकारी, हरिद्वार।
20. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचास्थानि चुनावालय, हरिद्वार।
21. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह कृपया अपने संचार माध्यमों द्वारा इसे प्रसारित कराने का कष्ट करें।
22. निदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे सभी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को प्रसारण हेतु प्रेषित कराने का कष्ट करें।
23. समाचार सम्पादक, आकाशवाणी नजीबाबाद केन्द्र, नजीबाबाद।
24. निजी सचिव, पंचायती राज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
25. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, फोटो लिथो प्रेस, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को आगामी असाधारण गजट में तत्काल मुद्रित कराकर इस की दस (10) प्रतियां आयोग के उपयोगार्थ/अभिलेखार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें। कृपया ध्यान रहे कि यह अधिसूचना विधायी परिशिष्ट में नहीं छपेगी।
26. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
27. सूचना-पट, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,


(एच.बी.थपलियाल)
संयुक्त सचिव।